

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री जगदीश सिंह आशिया ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 247 / 2023

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. जेताराम पुत्र सरूपाराम		1. किशोरसिंह पुत्र विक्रमसिंह जाति राजपूत निवासी गांधीनगर तहसील बाडमेर हाल निवासी धुडिया मोतीसिंह तहसील सिणधरी
2. कमला पुत्री सरूपाराम		2. तहसीलदार सिणधरी
3. गेहरोदेवी पुत्री सरूपाराम		
4. चौथाराम पुत्र सरूपाराम		
5. दलीदेवी पुत्री सरूपाराम		
6. बीबा पुत्री सरूपाराम		
7. मथरा पत्नि सरूपाराम		
8. हराराम पुत्र सरूपाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धुडिया मोतीसिंह तहसील सिणधरी		

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति-

- 1.श्री पाबूराम बेनीवाल, वकील प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
- 2.राज.पैरोकार नायब तहसीलदार विप्रार्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित।
- 3.विप्रार्थी संख्या 01 एकतरफा।

आदेश

दिनांक- 24.12.2024

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 428 रकबा 3.9965 हैक्टेयर ग्राम धुडिया मोतीसिंह पटवार क्षेत्र जुनामीठाखेड़ा तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा संख्या 427 रकबा 2.1034 हैक्टेयर ग्राम धुडिया मोतीसिंह पटवार क्षेत्र जुनामीठाखेड़ा तहसील सिणधरी भूमि आये हुए है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचने के लिए विप्रार्थीगण की उक्त खसरे में से होकर गुजरना पड़ता है। और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी ने ग्राम धुडिया मोतीसिंह पटवार क्षेत्र जुनामीठाखेड़ा के खसरा नम्बर 427 भूमि में होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी



प्रयुक्त हो रही भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 1 बावजूद नोटिस तामील के हाजिर नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3. उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 428 रकबा 3.9965 हैक्टर ग्राम धुड़िया मोतीसिंह पटवार क्षेत्र जुनामीठाखेड़ा तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा संख्या 427 रकबा 2.1034 हैक्टर ग्राम धुड़िया मोतीसिंह पटवार क्षेत्र जुनामीठाखेड़ा तहसील सिणधरी भूमि आये हुए है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए विप्रार्थीगण की उक्त खसरे में से होकर गुजरना पड़ता है। और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है, क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। आगे ओर कथन किया कि प्रस्तावित रास्ते की तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौका जांच की गई और मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण को रास्ता दिए जाने की अनुशंसा की गई है। अतः तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थी रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थी स.1 को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

4. विप्रार्थी संख्या 2 की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार आवेदन पत्र का निस्तारण किया जावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से अपने खातेदारी के खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा संख्या 427 रकबा 2.1034 हैक्टर ग्राम धुड़िया मोतीसिंह पटवार क्षेत्र जुनामीठाखेड़ा तहसील सिणधरी भूमि से होकर चल रहे रास्ता को स्वीकृत करने हेतु आवेदन पेश किया गया। जिसमें तहसीलदार सिणधरी से मौका स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2023 के द्वारा तलब की गई। तहसीलदार सिणधरी द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में मौका जांच कर रिपोर्ट पत्र क्रमांक 2650/10.10.2024 के द्वारा पेश की गई। जिसमें स्पष्ट अंकन किया कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी जोत में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा संख्या 427 रकबा 2.1034 हैक्टर ग्राम धुड़िया मोतीसिंह पटवार क्षेत्र जुनामीठाखेड़ा तहसील सिणधरी में से होकर गुजरना पड़ता है, और इसके अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट है, कि प्रार्थी को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए उक्त खेत में से होकर गुजरना पड़ता है और अन्य विकल्प रास्ता नहीं है, इससे स्पष्ट साबित होता है, कि प्रार्थी को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क मार्ग तक

पहुचने के लिए प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र वैकल्पिक है। ऐसी सूत्र में तहसीलदार की रिपोर्ट से प्रमाणित है कि प्रस्तावित रास्तों के अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता भी नहीं है। इस प्रकार रास्ते हेतु मौजा धुड़िया मोतीसिंह के खेत खसरा संख्या 427 में लम्बाई 100 मीटर व चौड़ाई 4.5 मीटर क्षेत्रफल 0.0450 हैक्टर का रास्ता प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि मौजा धुड़िया मोतीसिंह की डी.एल.सी. दर सिंचित सड़क के पास राशि-513394/-रूपये प्रति हैक्टर है। नियमानुसार रास्ते में प्रस्तावित भूमि के खातेदायन को उक्त भूमि की डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि प्रार्थी से दिलवाने जाने का प्रावधान है। इस प्रकार ग्राम धुड़िया मोतीसिंह की कुल क्षेत्रफल 0.0450 हैक्टर की कुल राशि-46300/-अक्षरे छियालीस हजार तीन सौ रूपये मात्र विप्रार्थीगण को राशि दी जानी प्रस्तावित है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है, कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी रास्ता पाने के हकदार है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने हेतु सहमत है।

6.लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा धुड़िया मोतीसिंह के खेत खसरा संख्या 427 में लम्बाई 100 मीटर व चौड़ाई 4.5 मीटर क्षेत्रफल 0.0450 हैक्टर भूमि की कुल राशि-46300/-अक्षरे छियालीस हजार तीन सौ रूपये मात्र का भुगतान करतें हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न दर्शित नक्शे में बरंग लाल कलर ---दर्शाये अनुसार चौड़ा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 को क्षतिपूर्ति कुल राशि-46300/-अक्षरे छियालीस हजार तीन सौ रूपये मात्र तहसील कार्यालय सिणधरी में संघारित जी.ए.55 रसीद के जरिये राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिणधरी को उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिणधरी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान विप्रार्थी पक्ष को खसरान वाईज उनके हिस्सेनुसार किया जाना सुनिश्चित करावें। तहसीलदार सिणधरी के पत्र क्रमांक:भू.अ./2024/2650 दिनांक 10.10.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(जगदीश सिंह आशिया)

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 24.12.2024 को लिखा जाकर मजमें आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी